



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1935 (श०)
(सं० पटना 621) पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2013

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

30 अप्रैल 2013

सं० 213—पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया अंचल के ग्राम—सरोत्तर स्थित श्री राम जानकी मंदिर (सरोत्तर मठ) पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—260 है। उक्त न्यास की सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु पर्वदीय पत्रांक 2863 दिनांक 24.03.1994 द्वारा एक न्यास समिति गठित की गयी थी। उक्त न्यास समिति का कार्य असंतोषप्रद रहने के कारण पर्वदीय ज्ञापांक 1642 दिनांक 10.12.2011 द्वारा अधिनियम की धारा-29 (2) के तहत इसे विघटित करते हुए नई समिति के गठन तक अधिनियम की धारा-33 के तहत श्री राजू प्रसाद ठाकुर को अस्थाई न्यासधारी नियुक्त किया गया। अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है, अतः उक्त न्यास के सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद को प्रस्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी मंदिर, सरोत्तर (सरोत्तर मठ)** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारु प्रबंधन एवं संचालन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसको मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री राम जानकी मंदिर, सरोत्तर (सरोत्तर मठ)" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री राम जानकी मंदिर, सरोत्तर (सरोत्तर मठ), न्यास समिति**" होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष एवं सचिव में से कोई एक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक् रूप से पर्वद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पत्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 20.04.2012 से 05 वर्षों की होगी। लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
- पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. श्री गणेश कुमार पाण्डेय पिता श्री अवधेश पाण्डेय | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजू प्रसाद ठाकुर पिता श्री दूरपत प्रसाद ठाकुर | — | सचिव |
| 3. श्री रविन्द्र सहनी पिता श्री राम प्रसाद सहनी | — | कोषाध्यक्ष |
| 4. श्री लक्ष्मण महतो पिता स्व० लालजी महतो | — | सदस्य |
| 5. श्री कुणाल कुमार पाण्डेय पिता श्री विश्वमोहन पाण्डेय | — | सदस्य |
| 6. श्री रंजन कुमार पाण्डेय पिता श्री राजेन्द्र पाण्डेय | — | सदस्य |
| 7. श्री देवलाल पासवान पिता स्व० जगली पासवान | — | सदस्य |
| 8. श्री पं० अवधेश पाण्डेय स्व० रघुनन्दन पाण्डेय | — | सदस्य |
| 9. श्री संजीत ठाकुर पिता श्री त्रियोगी ठाकुर | — | सदस्य |
| 10. श्री मनोज सिंह पिता स्व० त्रियोगी सिंह | — | सदस्य |
| 11. श्री सरयुग तिवारी पिता स्व० दिनेश्वर तिवारी | — | सदस्य |

सभी ग्राम+पो०-सरोत्तर, अंचल-कैसरिया, थाना-डुमरिया घाट, जिला-पूर्वी चम्पारण।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 621-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>